कुलाधिपति संदेश

विकलांग जन, समाज एवं राष्ट्र के लिए विशिष्ट प्रकार से उपयोगी है। वे विगत कलायुक्त नहीं अपितु विशिष्ट कला से युक्त हैं। जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना इसी विचार अधिष्ठान पर की गई है। विभिन्न प्रकार की कलाओं का विकलांग जन में विकास करना, उन्हें वर्तमान चुनौतियों का सामना करने लायक बनाना तथा एक योग्य नागरिक के रूप में समाज एवं राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करना, यही विश्वविद्यालय का हेतु है। भारत का यह एक अभिनव प्रयोग है। पारम्परिक विश्वविद्यालयों से भिन्न एक विशेष लक्ष्य को लेकर स्थापित यह विश्वविद्यालय शनैं–शनैं प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा है। अभाव विकलांगों के मार्ग में बाधा न बन पाये, ऐसा विश्वविद्यालय का विनम्र प्रयास है। विश्वविद्यालय इस नवीन सत्र से कुछ विशेष पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर रहा है, यह श्लाघनीय है। ये नवीन पाठ्यक्रम, विकलांग जन को, समाज एवं राष्ट्र के लिए, उपयोगी बना सकेंगे, मुझे विश्वास है। आगामी सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए, मेरा मंगलाशासन है।

इति मंगलमाशास्ते

प्रति कुलपति संदेश

वर्ष 2001 में स्थापित जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट (उ0प्र0) विकलांगों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो पूर्णरूप से विकलांगों की उच्च शिक्षा एवं पुनर्वास के प्रति संकल्पित है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 08 संकायों के अन्तर्गत 16 विभाग स्थापित हैं तथा भविष्य में 16 अन्य संकायों को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय की शिक्षा माध्यम में कम्प्यूटर एवं संस्कृत भाषा की अनिवार्यता है जिससे की विद्यार्थी मौलिक भारतीय ज्ञान के साथ–साथ नवाचारी शिक्षा को प्राप्त कर सकें। सभी विभागों में शोध के साथ सेवायोजन की सुविधा उपलब्ध है जिससे विद्यार्थियों की योग्यता का सीधा लाभ समाज एवं राष्ट्र को मिल सके। विश्वविद्यालय अपने स्रोतों से सभी अकादमिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, आवास एवं भोजन प्रदान कर रहा है। अपने स्थापना काल से अब तक की अल्पवधि में ही विश्वविद्यालय ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं जिनमें आर0सी0आई0 द्वारा विशेष शिक्षा के सीधे दूरदर्शन पर प्रसारण की व्यवस्था, स्टूडियो की स्थापना, केन्द्रीय पुस्तकालय भवन का निर्माण पुनर्वास केन्द्र को सामुदयिक कार्यों से जोड़ना तथा WiFi परिसर की योजना सम्मिलित है। वर्तमान में विश्वविद्यालय ICT केन्द्रित शिक्षण योजना व वर्चुअल प्रणाली के उपयोग पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है जिससे कि विश्वविद्यालयी शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं विकलांगों के लिए सुग्राही बनाया जा सके। निजी क्षेत्र में स्थापित होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 12(बी) की मान्यता देकर विश्वविद्यालय के लिये जहां एक ओर केन्द्रीय वित्तीय सहायता के दरवाजे सहर्ष खोले हैं वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) ने भी गुणवत्ता की दृष्टि से 'बी'' श्रेणी प्रदान कर इसकी गुणवत्ता

एवं उत्कृष्टता का वर्चस्व स्वीकारकिया है। गुणवत्ता उन्नयन के प्रयासों को गति प्रदान करते हुये विश्वविद्यालय ने NAAC की सन्दर्शिका के अनुरूप आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्यचन प्रकोष्ठ (IQAC) की स्थापना की है जिसका भविष्योन्मुखी लक्ष्य विश्वविद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता के मानकों को अपनाते हुये विश्वविद्यालय को 'ए' श्रेणी में खड़ा करना है। एक ओर राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान एवं राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे कार्यक्रमों का कुशल संचालन, दूसरी ओर शिक्षण एवं शोध के क्षेत्र में यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा (क्रेट) का सफल आयोजन, मूल्यांकन में सी0बी0सी0एस0 प्रणाली के बढ़ते कदम, कौशल प्रशिक्षण एवं परामर्श कार्यक्रम तथा विकलांग एवं जेन्डर सुग्राही वातावरण का सृजन जैसे प्रयास विश्वविद्यालय की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि विश्वविद्यालय निकट भविष्य में विकलांगजनों को वैश्विक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

विश्वविद्यालय परिचय

चित्रकूट (उ0प्र0) के सुरम्य एवं नैसर्गिक वातावरण में विकलांगजन को सकलांग की भाँति चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से सक्षम बनाने तथा चतुर्दिक विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थाना 26 जुलाई सन् 2001 में श्री राघवीयो जगद्गुरु रामानन्दाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा की गयी। उ0प्र0 के अधिनियम सं0 32(2001) के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने इस विश्वविद्यालय को आयोग की धारा 2F एवं 2B के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की तथा 10वीं, 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुदान प्रदान कर विकलांग हितैषिता का उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिया। इतना ही नहीं शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गुणवत्ता के कारण 2011 में नैक टीम ने विश्वविद्यालय को 'बी' ग्रेड देकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं अनुदान प्राप्त करने की दिशा में भी अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। विश्वविद्यालय को विश्व का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। आज यह विश्वविद्यालय 15 वर्ष पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। विकलांगों को उच्च शिक्षा में सुशिक्षित प्रशिक्षित कर स्नातक, स्नातकोत्तर, पी–एच0डी0 एवं अन्यान्य उच्च शिक्षा की उपाधियाँ प्राप्त कराकर रोजगारोन्मुखी एवं स्वावलम्बी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन–01, ग्राण्ड शैक्षणिक भवन, केन्द्रीय पुस्तकालय, बालक छात्रावास, क्रोचर बालक छात्रावास, डॉ0 गीता देवी कन्या छात्रावास, कैन्टीन आदि इकाईयाँ हैं। इनडोर एवं आउटडोर खेल की सभी सुविधाएँ व्यायामशाला (बालक/बालिका हेतु पृथक–पृथक) उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानित कोचिंग सेन्टर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई, महिला केन्द्र, प्रकाशन विभाग, यू0जी0सी0 एवं आई0क्यू00ए0सी0 प्रकोष्ठ आदि केन्द्र कार्यरत हैं।

इस विश्वविद्यालय में बी0ए0, एम0ए0, बी0एड0, बी0एड0 (व्ही0आई), बी0एड0 (एच0आई), एम0एड0, एम0एस0डब्ल्यू0, बी0म्यूज, एम0म्यूज, बी0एफ0ए0, एम0एफ0ए0, बी0बी0ए0, एम0बी0ए0, बी0सी0ए0, एम0सी0ए0, पी0जी0डी0आई0टी0, डी0आई0टी0, आदि पाठ्यक्रमों में विकलांग छात्र/छात्राएँ अध्ययनरत हैं। राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के सहयोग से बैचलर इन ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज, पैथालॉजी का पाठ्यक्रम संचालित है।

(आ.पी. मिश्र)
कुलसचिव

समस्त पाठ्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु

1. यह सूचना पुस्तिका अभ्यर्थियों के सामान्य निर्देशन के लिए है। विश्वविद्यालय में प्रवेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम 2001, परिनियम तथा अधिसूचना और इसके आलोक में बनाये गये नियमों और संशोधनों से शासित होगा।
2. विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु केवल विकलांग विद्यार्थी ही अर्ह होंगे।
3. प्रवेश के संदर्भ में इस पुस्तिका में अद्यतन सूचना दी गयी है। इसमें किया गया कोई भी परिवर्तन विश्वविद्यालय के बेबसाइट www.jrhu.com पर ही केवल उपलब्ध होगा। अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हुए विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के समय अर्हकारी परीक्षा का मूल अंक पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. अभ्यर्थी का उत्तरदायित्व होगा कि विश्वविद्यालय द्वारा वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र, निर्धारित आवेदन–पत्र के साथ निर्दिष्ट समय के अनुसार प्रस्तुत करें। इसके अभाव में अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए वांछित अभिलेखों की जानकारी इस पुस्तिका में दिया गया है, साथ ही, अन्य आवश्यक जानकारी भी समय–समय पर मांगी जा सकती है, जिसे निर्धारित अवधि में अभ्यर्थी को उपलब्ध कराना होगा।
5. अभ्यर्थियों का उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक जानकारी स्वयं ही विश्वविद्यालय में प्राप्त करें। विश्वविद्यालय इस प्रकार के उत्तरदायित्व का वहन नहीं करेगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण/प्रवेश आवेदन–पत्र में दी गयी सूचना अन्तिम मानी जायेगी। इसके पश्चात किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रदत्त कोई अभिलेख/घोषणा यदि असत्य पाई गयी तो उसका प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
7. प्रवासी भारतीय एवं विदेशी छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना बाध्यकारी नहीं होगा, वे सीधे प्रवेश के लिए अर्ह होंगे। विदेशी विद्यार्थियों को अपने दूतावास के माध्यम से आवेदन करना होगा।
8. विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण नियम शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप अनुमन्य होगा।
9. सत्र 2015–16 में केवल अस्थि विकलांग, श्रवणबाधित एवं दृष्टिबाधित विकलांग प्रवेशार्थियों को ही प्रवेश दिया जायेगा।

प्रवेश सम्बन्धी सामान्य नियम

1. व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश उसी विषय में होगा जो विषय अभ्यर्थी के स्नातक अन्तिम वर्ष में रहा हो।
2. विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग के स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी कला वर्ग के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर) में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
3. अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय से अधिकतम दो स्नातकोत्त्र विषयों/पाठ्यक्रमों में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर सकता है।
4. अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों का विश्वविद्यालय के किसी भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम में प्रवेश उनके शैक्षणिक प्राप्ताकों की प्रवीणता सूची के आधार पर किया जायेगा।
5. एम0ए0 शिक्षाशास्त्र पाठ्यक्रम में वे अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगें जिनका स्नातक अन्तिम वर्ष में शिक्षाशास्त्र विषय एक अध्ययन विषय के रूप में रहा हो अथवा बी0एड0/बी0एड0 विशेष शिक्षा की उपाधि प्राप्त की हो।
6. अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर निर्धारित विषय सवंर्गों में से प्रत्येक संवर्ग से कम से कम एक विषय का चयन करते हुए किन्हीं तीन विषयों का चयन कर सकता है।

   क. स्नातक (बी0ए0) हेतु विषय संवर्गः

संवर्ग –1	संवर्ग –2	संवर्ग –3
शिक्षाशास्त्र	इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व	चित्रकला
अर्थशास्त्र	समाजशास्त्र	संगीत–गायन/वादन
		मनोविज्ञान

   संवर्ग –4
   हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य,

   नोट– संवर्ग–4 में से अधिकतम किन्हीं दो विषयों का चयन किया जा सकता है।

7. कक्षा में छात्र की कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
8. अनुशासनहीनता पर छात्र का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
9. एम0एड0 में प्रवेश हेतु बी0एड0 उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होगें।
10. विकलांगता प्रमाणपत्र या शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी होने की स्थिति में स्वयं छात्र उत्तरदायी होगा एवं जाँच होने पर फर्जी पाए जाने पर उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम एवं सीट संख्या

1. स्नातक (बी0ए0) एवं स्नातकोत्तर (एम0ए0)

	विषय	स्नातक स्तर	स्नातकोत्तर स्तर
(i)	हिन्दी साहित्य	60	40
(ii)	अंग्रेजी साहित्य	60	40
(iii)	संस्कृत साहित्य	60	40
(iv)	इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व	60	40
(v)	समाजशास्त्र	60	40
(vi)	अर्थशास्त्र	60	40
(vii)	मनोविज्ञान	40	30
(viii)	चित्रकला	40	30
(ix)	संगीत गायन	40	30
(x)	संगीत वादन	40	30
(xi)	शिक्षाशास्त्र	60	40
(xii)	गृह विज्ञान*	...	....
(xiii)	योग*	...	....

नोट – * योग विभाग एवं गृह विज्ञान विभाग की प्रवेश प्रक्रिया, विधिक एवं व्यवस्थात्मक औपचारिकताएं पूर्ण होनेकी स्थिति में संचालित किया जायेगा।

संचालित अन्य पाठ्यक्रम

1. बी0 म्यूज् (गायन एवं वादन – तबला)
   स्थान : 20 अवधि : 3 वर्ष
   योग्यता : 10+2 उत्तीर्ण।
   प्रवेश प्रकिया : प्रवीणता एवं साक्षात्कार के आधार पर।
2. बी0एफ0ए0–
   स्थान : 40 अवधि : 4 वर्ष
   विषय : चित्रकला, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, व्यावहारिक कला, टेक्सटाइल डिजाइन
   योग्यता : 10+2 उत्तीर्ण।
   प्रवेश प्रकिया : प्रवीणता एवं साक्षात्कार के आधार पर।
3. बी0बी0ए0–
   स्थान : 40 अवधि : 3 वर्ष
   योग्यता : 10+2 उत्तीर्ण।
   प्रवेश प्रकिया : प्रवीणता एवं साक्षात्कार के आधार पर।
4. बी0सी0ए0 –
   स्थान : 50 अवधि : 3 वर्ष
   योग्यता : 10+2 उत्तीर्ण।
   प्रवेश प्रकिया : प्रवीणता एवं साक्षात्कार के आधार पर।

5. एम0एस0डब्ल्यू0

स्थान	:	30	अवधि	:	2 वर्ष
योग्यता	:	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि			
प्रवेश प्रकिया	:	प्रवीणता एवं साक्षात्कार के आधार पर।			

6. एम0एफ0ए0

स्थान	:	30	अवधि	:	2 वर्ष
योग्यता	:	बी0एफ0ए0 या इसके समतुल्य			
प्रवेश प्रकिया	:	प्रवीणता एवं साक्षात्कार के आधार पर।			

7. एम0बी0ए0 –

स्थान	:	30	अवधि	:	2 वर्ष
योग्यता	:	स्नातक किसी भी क्षेत्र में।			
प्रवेश प्रकिया	:	प्रवीणता एवं साक्षात्कार के आधार पर।			

8. एम0सी0ए0 –

स्थान	:	30	अवधि	:	2 वर्ष
योग्यता	:	स्नातक किसी भी क्षेत्र में।			
प्रवेश प्रकिया	:	प्रवीणता एवं साक्षात्कार के आधार पर।			

9. एम0 म्यूज् (गायन एवं वादन – तबला)

स्थान	:	20/20	अवधि	:	2 वर्ष
योग्यता	:	बी0म्यूज या इसके समतुल्य			
प्रवेश प्रकिया	:	प्रवीणता एवं साक्षात्कार के आधार पर।			

10. डिप्लोमा–

1. डी.आई.टी. (सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा)

सीाीन	:	20
योग्यता	:	10+2 उत्तीर्ण
अवधि	:	1 वर्ष
प्रवेश प्रक्रिया	:	साक्षात्कार तथा प्रवीणता के आधार पर।

2. फोटोग्राफी में डिप्लोमा

सीाीन	:	20
योग्यता	:	10+2 उत्तीर्ण
अवधि	:	1 वर्ष
प्रवेश प्रक्रिया	:	साक्षात्कार तथा प्रवीणता के आधार पर।

3. स्क्रीन प्रिंटिंग डिप्लोमा

सीाीन	:	20
योग्यता	:	10+2 उत्तीर्ण
अवधि	:	6 माह
प्रवेश प्रक्रिया	:	साक्षात्कार तथा प्रवीणता के आधार पर।

4. वर्ड प्रोसेसिंग एवं डाटा इन्ट्री में डिप्लोमा

सीाीन	:	20
योग्यता	:	10+2 उत्तीर्ण
अवधि	:	1 वर्ष
प्रवेश प्रक्रिया	:	साक्षात्कार तथा प्रवीणता के आधार पर।

5. हैण्ड मेड पेपर में डिप्लोमा

सीाीन	:	20
योग्यता	:	10+2 उत्तीर्ण
अवधि	:	6 माह
प्रवेश प्रक्रिया	:	साक्षात्कार तथा प्रवीणता के आधार पर।

6. कार्यालय प्रबंधन में डिप्लोमा
   सीाीन : 20
   योग्यता : 10+2 उत्तीर्ण
   अवधि : 1 वर्ष
   प्रवेश प्रक्रिया : साक्षात्कार तथा प्रवीणता के आधार पर।
7. स्टेनोग्राफी ट्रान्सक्रिप्सन में डिप्लोमा
   सीाीन : 20
   योग्यता : 10+2 उत्तीर्ण
   अवधि : 1 वर्ष
   प्रवेश प्रक्रिया : साक्षात्कार तथा प्रवीणता के आधार पर।
8. कम्प्यूटर प्रयोग एवं एम.एस. आफिस में डिप्लोमा (केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए)
   सीाीन : 20
   योग्यता : 10+2 उत्तीर्ण
   अवधि : 1 वर्ष
   प्रवेश प्रक्रिया : साक्षात्कार तथा प्रवीणता के आधार पर।
9. पी0जी0डी0 आई0टी0
   सीाीन : 30
   योग्यता : स्नातक
   अवधि : 1 वर्ष
   प्रवेश प्रक्रिया : साक्षात्कार तथा प्रवीणता के आधार पर।

➢ काउन्सिलिंग कार्यक्रमः–

S#	Course Name	Date of Counseling	Time
1	B.A.	From 1st July 2015 onwards on each working day.	11:00 am - 4:00 pm
2	M.A. in all subject/MSW/MBA/MFA/MCA/M.Mus.		
3	BCA/BBA/BFA/B.Mus		
4	All Diploma Courses		

➢ निम्नलिखित प्रपत्र प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करें–

1. प्रवेश आवेदन शुल्क, रु 200/– जो कि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में वित्तअधिकारी, जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के नाम से भारतीय स्टेट बैंक चित्रकूट (शाखा कोड 3869) अथवा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, जानकीकुण्ड, चित्रकूट, सतना (शाखा कोड 542148) में देय हो। शुल्क विश्वविद्यालय काउन्टर पर भी जमा किया जा सकता है।

   अन्तिम तिथि – 15 जुलाई 2015
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाणपत्र। (न्यूनतम विकलांगता 40 प्रतिशत)।
3. हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
4. इण्टरमीडिएट अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
5. स्नातक अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
6. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/प्रव्रजन प्रमाण पत्र।
7. आय प्रमाण पत्र।
8. जाति प्रमाण पत्र।
9. चार पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ।

काउन्सिलिंग के समय उपरोक्त सभी प्रपत्रों की मूल प्रति साथ में अवश्य लाएँ, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम		स्थान
(i)	बी0एड0 (सामान्य)	100
		यूनिट–1: 50
		यूनिट–2: 50
(ii)	बी0एड0 (वी0आई)	30
(iii)	बी0एड0 (एच0आई)	30
(iv)	एम0एड0	50

1. **Eligibility**

   A. B.Ed./B.Ed. Spl-HI/ B.Ed. Spl-VI

   Candidates with at least 45% marks in the Bachelorôs Degree or 55% in the Masterôs degree or any other qualification equivalent thereto, are eligible for admission to the programme.

   Duration- 2 Year or four semesters.

   B. M.Ed.

   Candidates who have obtained at least 50% in the B.Ed. Degree are eligible for admission to the programme.

   Duration- 2 Year or 4 Semesters.

2. Admission will be made on the basis of marks obtained in the entrance examination conducted by the University, **as per the policy of the University.**
3. Reservation of seats for SC/ST/OBC, Women, aluminous etc. as per State Govt. /University norms.
4. Please make sure that the following documents are to be enclosed with the application form:

   i. **Demand Draft of Rs. 800/- in favour of Finance officer, J.R.H. University payable at UBI, Jankikund, Chitrakoot (Branch Code 542148) or SBI, Chitrakoot (Branch Code 3869). Fee may also be deposited at the University cash counter. Last date: 31May *2015.***

   (With late fee of Rs. 200) - 01 June to 15June 2015)

   ii. All supportive documents should be self attested.

iii. **Disability certificate issued by Chief Medical Officer having Minimum 40 % of Disability.**

5. Disability certificate of the selected candidates will be examined by the Medical Board during counseling.
6. Appearing candidates in qualifying examination may also apply, but they are required to produce their mark sheet/certificate at the time of counseling, failing which, your candidature will be treated as cancelled.
7. **Candidates shall be provided OMR sheet for Entrance Examination.**
8. **Result of the entrance examination will be available on the website www.jrhu.com on 6 July 2015.**
9. **Counseling will be held as per following schedule at University campus:**

Note- All successful candidates are required to report at university on the said date for Counseling, with following documents- Course fee (B.Ed/B.Ed Special Education-V.I./H.I.- Rs. 30,000/ per year) (M.Ed- Rs. 35,000/- per year), original mark sheet/certificate, disability certificate, migration, caste certificate, income certificate, four passport size color photographs.

Note - In absence of any document required, students will not be allowed to get admission.

परीक्षा नियमावली

1. द्वितीय वर्ष में प्रवेष हेतु छात्र प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर के कुल प्रश्नपत्रों में से कम से कम 50 प्रतिषत प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। इसी प्रकार तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के चारों सेमेस्टर की परीक्षा के कुल प्रश्नपत्रों मे से कम से कम 50 प्रतिशत प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

2. बैक या श्रेणी सुधार परीक्षा विषम सेमेस्टर की परीक्षा नियमित विषम सेमेस्टर की परीक्षा के साथ तथा सम सेमेस्टर की परीक्षा नियमित सम सेमेस्टर की परीक्षा के साथ आयोजित कराई जायेगी। पंचम एवं षष्टम सेमेस्टर की बैक पेपर/श्रेणी सुधार परीक्षा के लिए विशेष परीक्षा आयोजित कराई जायेगी। जो परीक्षा परिणाम घोषित होने के तीन माह के अन्दर सम्पन्न कराई जायेगी। विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों से परीक्षा कराने का सम्पूर्ण व्यय के बराबर शुल्क जमा करना होगा।

2. श्रेणी सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र को श्रेणी सुधार परीक्षा में प्राप्त अंक ही मान्य होगा।

3. जो छात्र पूरे सत्र में नियमित रूप से उपस्थित रहेगा और कम से कम एक सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र या प्रयोगात्मक परीक्षा में उपस्थित होगा तो वह भूतपूर्व छात्र के रूप में दुबारा पूरी परीक्षा में सम्मिलित होगा। प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा में अनुपस्थित छात्र दुबारा परीक्षा दे सकते हैं किन्तु प्रयोगात्मक एवं मौखिक परीक्षा आयोजित कराने का पूरा व्यय छात्र वहन करेगा।

4. स्नातक (बी0ए0) के छात्र एक सेमेस्टर में किसी एक विषय में श्रेणी सुधार परीक्षा दे सकेंगे।

5. परास्नातक (एम0ए0) के छात्र एक सेमेस्टर में किसी एक प्रश्नपत्र में श्रेणी सुधार परीक्षा दे सकेंगे।

6. बी0एड0 एवं बी0एड0 विशेष शिक्षा के छात्र एक सेमेस्टर में अधिकतम दो प्रश्नपत्रों मे श्रेणी सुधार परीक्षा दे सकते हैं। यह परीक्षा विशेष परीक्षा के साथ आयोजित कराई जायेगी।

7. एम0बी0ए0 के छात्र एक सेमेस्टर में किन्हीं दो प्रश्नपत्र में श्रेणी सुधार परीक्षा दे सकेंगे।

8. एम0सी0ए0 के छात्र एक सेमेस्टर में किसी एक प्रश्नपत्र में श्रेणी सुधार परीक्षा दे सकेंगे।

9. एम0एड0 के छात्र एक सेमेस्टर में किसी एक प्रश्नपत्र में श्रेणी सुधार परीक्षा दे सकेंगे।

10. किसी भी परिस्थिति में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना नहीं कराई जायेगी।

11. बैक पेपर एवं श्रेणी सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों के अंक पत्र में बैक पेपर अथवा श्रेणी सुधार अंकित किया जायेगा।

12. अनुचित साधन प्रयोग करने वाले छात्रों का सम्बन्धित प्रश्नपत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

13. यदि छात्र प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के पश्चात कहीं अन्यत्र प्रवेश लेने अथवा किसी अन्य उद्देश्य से अपना प्रव्रजन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से निर्गत करा लेता है तो ऐसी स्थिति में उसका प्रवेश निरस्त हो जायेगा। यदि वह अगले सत्र में पुनः प्रवेश लेना चाहता है तो उसका प्रवेश प्रथम वर्ष में होगा।

14. यदि छात्र प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इसी विश्वविद्यालय के किसी अन्य पाठ्यक्रम जैसे बी0एड0 या एम0एड0 में प्रवेश पा जाता है तो वह छात्र पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पष्चात तत्काल द्वितीय वर्ष में प्रवेश पा सकता है।

15. यदि किसी छात्र का परीक्षा प्रवेश पत्र खो जाता है तो छात्र को द्वितीय प्रति सम्बन्धित विभाग की संस्तुति के आधार पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्गत किया जायेगा। द्वितीय प्रति का शुल्क रू. 50/ देय होगा। परीक्षा के समय द्वितीय प्रति निर्गत कराने के लिए परीक्षा के केन्द्र अधीक्षक से संस्तुति लेनी होगी।

16. एक वर्ष के दोनों सेमेस्टर का परीक्षा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क एक ही साथ जमा करना होगा।

17. प्रवेश के अन्तिम तिथि के उपरान्त अगले 15 दिन तक परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि परीक्षा नियंत्रक द्वारा घोषित की जायेगी। अन्तिम तिथि के उपरान्त अगले 15 दिन तक रु. 100/– विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन किया जा सकता है।

18. बी0ए0 के सभी परीक्षा आवेदन पत्र अधिष्ठाता कार्यालय में जमा किये जायेंगे। एम0ए0 के परीक्षा आवेदन पत्र सम्बन्धित विभागों में जमा किये जायेगें। विभाग द्वारा प्रमाणित परीक्षा आवेदन पत्र अधिष्ठाता कार्यालय के माध्यम से परीक्षा विभाग को भेजे जायेंगे।

19. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के परीक्षा आवेदन पत्र सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाणित कर अधिष्ठाता कार्यालय के माध्यम से परीक्षा विभाग को भेजे जायेंगे।

20. पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा आवेदन पत्र एक माह पूर्व जमा किया जायेगा।

21. बी0ए0 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक सैद्धान्तिक विषय में 33 प्रतिशत तथा सभी विषय में 33 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य होगा। प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 50 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य होगा।

22. एम0ए0 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों में 33 प्रतिशत तथा कुल 36 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य होगा। प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 50 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य होगा।

23. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के परीक्षा उत्तीर्ण करने का मानक सम्बन्धित मान्यता प्रदायी संस्थाओं के मानकों के अनुसार होगी।

23. किसी भी पाठ्यक्रम (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

24. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उपस्थिति का मानक सम्बन्धित मान्यता प्रदायी संस्थाओं के मानकों के अनुसार होगी।

26. सह लेखक के सन्दर्भ में पी0डब्ल्यू0डी0 अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

छात्रावास नियमावली

1. विश्वविद्यालय द्वारा समस्त नियमित पाठ्यक्रमों (शोध पाठ्यक्रम, शोध परियोजनाओं सहित) में अध्ययनरत समस्त छात्रों को छात्रावास की सुविधा कमरों की उपलब्धता की स्थिति में प्रदान की जायेगी।
2. छात्रावास में रहने वाले प्रत्येक को छात्रावास के लिए निर्धारित विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य समस्त नियमों का पालन अनिवार्य होगा। इसमें किसी प्रकार की अनअवधानता को अनुशासनहीनता मानते हुए विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित छात्र के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।
3. सेमेस्टर ब्रेक/अवकाश के दिनों में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर सूचना दिये जाने की स्थिति में छात्र को छात्रावास अनिवार्यतः खाली करना होगा। कमरे को खाली करने के पश्चात आलमारी एवं कक्ष की चाभी सम्बन्धित छात्रावास अधीक्षक के पास छात्र द्वारा अनिवार्यतः जमा की जायेगी।
   यद्यपि शोध छात्रों एवं विशेष अनुमति प्राप्त छात्रों को अवकाश के दिनों में छात्रावास के कक्षों में रहने की अनुमति रहेगी किन्तु ऐसे छात्रों को अपने विभागाध्यक्ष से अनुमति पत्र लेकर छात्रावास अधीक्षक के पास अनिवार्यतः जमा करना होगा।
4. एक ही कक्ष में रहने वाले एक या एक से अधिक विद्यार्थी संयुक्त रूप से उस कक्ष के भौतिक संसाधनों के रख–रखाव के पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। उनके रहने की अवधि में यदि संसाधनों के साथ कोई टूट–फूट पायी जाती है तो वे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दंड के भागीदार होंगे।
5. छात्रावास की किसी भी समस्या से सम्बन्धित शिकायत के लिए कोई भी छात्र बिना वार्डेन की अनुमति के विश्वविद्यालय के किसी उच्चस्थ अधिकारी से सम्पर्क नहीं करेगा।
6. छात्रावास में रहने की अवधि में यदि छात्र किसी कारण बस गम्भीर बीमारी से ग्रसित होता है(नशा, सिगरेट आदि बुरी आदतों को छोड़कर) तो वह इसकी सूचना छात्रावास अधीक्षक को करेगा।
7. छात्रावास में विद्यार्थियों के द्वारा किसी भी प्रकार का नशा,(बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटका, तम्बाकू, सुपाड़ी तथा अन्य नशीली दवाएँ जैसे–ड्रग्स, स्मैक आदि) तथा जुआ, धोखाधड़ी या अन्य सामाजिक अपराध पूर्णतः वर्जित हैं, इनमें लिप्त पाये जाने पर प्रथम दृश्टया ही विद्यार्थी को छात्रावास से निष्कासित कर विश्वविद्यालय अनुशासन नियमों के अन्तर्गत कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
8. छात्रावास में प्रवेश के समय विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को प्रत्येक कक्ष में न्युनतम उपयोग की सामग्री प्रदान की जायेगी। इनमें से किसी सामग्री के खराब होने की दशा में उसमें सुधार अथवा बदलाव का कार्य छात्रावास अधीक्षक की अनुमति से ही विद्यार्थी द्वारा किया जायेगा।

9. छात्रावास में रहने वाले सभी विद्यार्थी बिना छात्रावास अधीक्षक के अनुमति के अपनी इच्छानुसार उच्च बोल्टेज के विद्युत यंत्र जैसे–हीटर, प्रेस, कम्प्यूटर, म्यूजिक सिस्टम आदि का प्रयोग नहीं कर सकेगा। ऐसा करने की स्थिति में सम्बन्धित विद्यार्थी के विरुद्ध निर्धारित नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
10. छात्रावास में रहने वाले किसी भी विद्यार्थी को अपने पास किसी भी परिस्थिति में खतरनाक हथियार, बिस्फोटक सामग्री एवं अन्य वर्जित सामग्री को रखने की अनुमति नहीं होगी।
11. छात्रावास में रहने वाले किसी भी विद्यार्थी को अपने पास आवश्यकता से अधिक धनराशि, मंहगे जेवरात, मंहगे मोबाइल व अन्य सामग्री को बिना छात्रावास अधीक्षक के अनुमति के रखने की अनुमति नहीं है।
12. छात्रावास के निवासी प्रत्येक विद्यार्थी से यह अनिवार्यतः अपेक्षा है कि वह अपने कक्ष की साफ–सफाई से लेकर छात्रावास प्रांगण की साफ–सफाई के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायित्व लेकर इसकी स्वच्छता को बनाय रखेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर उचित कार्रवाई की जायेगी।
13. छात्रावास में विद्यार्थियों के द्वारा अथवा उनसे मिलने आने वाले किसी भी परिचित के द्वारा पान, गुटखा, तम्बाकू का सेवन करना या उसके द्वारा छात्रावास की दीवारों एवं फर्स को गन्दा करना पूर्णतः नियम विरूद्ध है, ऐसा पाये जाने पर नियमों के अन्तर्गत कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
14. विश्वविद्यालय परिसर के साथ–साथ विश्वविद्यालय के समस्त छात्रावासों में भी रैगिंग पूर्णतः निषेध है। किसी भी छात्र के द्वारा रैगिंग किये जाने अथवा प्रत्यक्षतः व अप्रत्यक्षतः लिप्त पाये जाने पर संज्ञेय अपराध मानते हुए कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
15. विद्यार्थी द्वारा छात्रावास खाली करते समय कक्ष को पूर्णतः नियोजित एवं साफ करके छोड़ना होगा तभी छात्रावास अधीक्षक द्वारा उन्हें क्लीयरेंस प्रमाण–पत्र प्रदेय होगा।
16. छात्रावास के निवासी प्रत्येक विद्यार्थी से यह अनिवार्यतः अपेक्षा है कि वह अपने कक्षों में विद्युत सम्बन्धी उपकरणों का दुरूपयोग नहीं करेंगे तथा कक्ष से बाहर जाते समय समस्त विद्युत सविचों को बन्द करके जायेगें।
17. छात्रावास के समस्त विद्यार्थी बाथरूम, वास बेसिन एवं छात्रावास प्रांगण के किसी भाग में लगे पानी के नलों को खुला नहीं छोड़ेगे तथा उपलब्ध जल का दुरूपयोग नहीं करेंगे।
18. बिना छात्रावास अधीक्षक के अनुमति के कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के साथ कक्ष एवं कक्ष की सामग्री की अदला–बदली नहीं करेगा।
19. किसी भी विद्यार्थी को छात्रावास में मेहमान को ठहराने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक छात्रावास में एक गेस्ट रूम की व्यवस्था होगी, जिसमें मेहमानों को रूकने के अनुमति छात्रावास अधीक्षक द्वारा पहले आओ पहले पायो के आधार पर की

जायेगी। किसी भी मेहमान को बिना विशेष अनुमति के विद्यार्थी के कक्ष में रहने की अनुमति नहीं होगी। मेहमानों को रूकने के लिए सम्बन्धित विद्यार्थी को निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। किसी भी मेहमान को एक बार में अधिकतम 3 दिन से ज्यादा छात्रावास में रूकने की अनुमति नहीं होगी।

20. पुरूष छात्रावास में महिला आगुन्तम की तथा महिला छात्रावास में पुरूष आगन्तुम के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। किसी विशेष परिस्थिति में छात्रावास अधीक्षक द्वारा इसमें छूट प्रदान की जा सकती है।

    क. आगन्तुम के आने–जान का समय

    कार्य दिवसों में : सायं 04:00 बजे से 06:00 बजे तक

    अवकाश के दिनों में : प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक
    सायं 04:00 बजे से 06:00 बजे तक

21. आगन्तुक, आगन्तुक कक्ष में ही सम्बन्धित विद्यार्थी से मिलेगा। किसी विशेष परिस्थति में छात्रावास अधीक्षक की अनुमति से सम्बन्धित विद्यार्थी के कक्ष में जाने की अनुमति होगी।
22. सभी आगन्तुकों को छात्रावास में प्रवेश करने के लिए आगन्तुक पंजिका में समस्त जानकारी अंकित करके अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
23. किसी भी छात्रावासी विद्यार्थी को सायं 08:00 से पहले छात्रावास में वापस आना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दिन सायं 08:00 बजे छात्रावास में प्रार्थना सभा का आयोजित की जायोगी जिसमें छात्रावास में रहने वाले समस्त विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
24. सायं 08:00 बजे छात्रावास में उपस्थिति दर्ज की जायेगी। उपस्थिति दर्ज होने के समय सभी छात्रावासी विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
25. रात्रि 10:00 बजे छात्रावास का मुख्य द्वार बन्द किया जायेगा। इसके पश्चात कोई छात्र, छात्रावास के बाहर नहीं जायेगा। प्रातः 05:00 बजे छात्रावास का मुख्य द्वार खोला जायेगा। विशेष परिस्थिति में छात्रावास अधीक्षक के अनुमति से रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे की बीच मुख्य द्वार खोला जा सकेगा।
26. छात्रावास सम्बन्धी छात्रों की कोई भी समस्या की सूचना छात्रावास कार्यालय के द्वारा ही सम्पन्न करायी जायेगी।
27. विश्वविद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय में अधिकतम 7 वर्षों तक ही छात्रावास में रहने की सुविधा दी जायेगी।

विश्वविद्यालय परिवार

1. संचालन समिति		पद
(i)	राघवीयो जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य	कुलाधिपति
(ii)	डॉ0 गीता देवी मिश्रा	कुलाधिपति की सचिव

2. अधिकारी वर्ग		
(i)	प्रो0 योगेशचन्द्र दुबे	प्रति कुलपति
(ii)	श्री आर0 पी0 मिश्र	कार्यवाहक कुलसचिव
(iii)	प्रो0 योगेशचन्द्र दुबे	मुख्य कुलानुशासक, अधिष्ठाता (सभी संकाय) निदेशक, शोध अनुभाग प्रभारी नैक प्रकोष्ठ नेट,जे0आर0एफ0 कोचिंग
(iv)	श्री आर0पी0 मिश्र	वित्त अधिकारी
(v)	डॉ0 सचीन्द्र उपाध्याय	चिकित्साधिकारी
(vi)	श्री राकेश शर्मा	सहायक कुलसचिव

परीक्षा विभाग

डॉ0 अम्बरीश राय, सहायक कुलसचिव
श्री हरीश्चन्द्र शॉडिल्य, वरिष्ठ कार्यालय सहायक
डॉ0 पुष्पेन्द्र कुमार मिश्र, वरिष्ठ कार्यालय सहायक
श्री पदम अग्रवाल, भृत्य

अनुशासनिक समिति

1. प्रो. योगेश चन्द्र दुबे, मुख्य कुलानुशासक
2. डॉ0 महेन्द्र कुमार उपाध्याय, कुलानुशासक

छात्र कल्याण अधिष्ठाता

1. प्रो. योगेश चन्द्र दुबे, छात्र कल्याण अधिष्ठाता

यू0जी0सी0 सेल

1. श्री निहार रंजन मिश्र, संयोजक
2. श्री अतुल श्रीवास्तव, नोडल ऑफिसर, सदस्य
3. डॉ0 पूनम पाण्डेय, सदस्य
4. श्री अशोक कुमार तिवारी, सदस्य
5. डॉ0 राकेश कुमार द्विवेदी, सदस्य

शोध निदेशालय

1. प्रो0 योगेश चन्द्र दुबे, निदेशक
2. डॉ0 राकेश कुमार द्विवेदी, अधीक्षक
3. श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, वरिष्ठ सहायक

छात्रवृत्ति

1. डॉ. राकेश कुमार द्विवेदी
2. श्री संजय नायक

छात्रावास

बालक– श्री मुकुन्द मोहन पाण्डेय
श्री सूर्य प्रकाश प्रकाश मिश्र
श्री अमृतांशु मिश्र

बालिका– डॉ0 सुनीता श्रीवास्तव,
डॉ0 प्रतिमा कुमारी शुक्ला
डॉ0 रीना पाण्डेय

1. संस्कृत विभाग
   - प्रो0 योगेश चन्द्र दुबे — आचार्य एवं अध्यक्ष
   - डॉ0 अरूण कुमार शुक्ल — सहायक आचार्य
   - डॉ. प्रमिला मिश्रा — सहायक आचार्या
2. इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग
   - डॉ0 महेन्द्र कुमार उपाध्याय — सहायक आचार्य एवं प्रभारी
   - डॉ0 प्रतिमा शुक्ला — सहायक आचार्या
3. अंग्रेजी विभाग
   - डॉ0 पूनम पाण्डेय — सहायक आचार्या एवं प्रभारी
   - डॉ. शशिकान्त त्रिपाठी — सहायक आचार्य
4. अर्थशास्त्र विभाग
   - डॉ0 राकेश कुमार तिवारी — सहायक आचार्य एवं प्रभारी
   - डॉ0 अरविन्द कुमार — सहायक आचार्य
5. हिन्दी विभाग
   - डॉ0 किरण त्रिपाठी — सहायक आचार्य एवं प्रभारी
   - डॉ0 शान्त कुमार चतुर्वेदी — सहायक आचार्य
6. समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
   - डॉ0 विनोद कुमार मिश्र — सहायक आचार्य एवं प्रभारी,
   - डॉ0 सुनीता श्रीवास्तव — सहायक आचार्या
   - श्रीमती रेनू कमल — सहायक आचार्या
7. संगीत गायन विभाग
   - डॉ0 ज्योति विश्वकर्मा — सहायक आचार्य एवं प्रभारी
   - श्री विशेष नारायण मिश्र — सीनियर डिमान्सट्रेटर
8. संगीत वादन विभाग
   - श्री गोपाल मिश्र — सहायक आचार्य एवं प्रभारी
9. चित्रकला विभाग
   - डॉ0 गुलाबधर — सहायक आचार्य एवं प्रभारी
10. ललित कला विभाग
    - डॉ. देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी — सहायक आचार्य एवं प्रभारी

11. प्रबन्धन विभाग

श्री दलीप कुमार	सहायक आचार्य एवं प्रभारी
श्रीमती भविष्या माथुर	सहायक आचार्य

12. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

श्री अमित अग्निहोत्री	सहायक आचार्य एवं प्रभारी
श्री अतुल श्रीवास्तव	सहायक आचार्य
डॉ. राकेश कुमार द्विवेदी	सहायक आचार्य

13. शिक्षा विभाग (बी0एड0 / एम0एड0)

डॉ0 रजनीश कुमार सिंह	सहायक आचार्य एवं प्रभारी
डॉ0 मुरलीधर सिंह	सहायक आचार्य
श्री रामजी वर्मा	सहायक आचार्य
सुश्री रमा सोनी	सहायक आचार्य

14. शिक्षा विभाग (बी0ए0 / एम0ए0)

डॉ. नीतू तिवारी	सहाकय आचार्या एवं प्रभारी
डॉ. रीना पाण्डेय	सहायक आचार्या
श्री दुर्गेश मिश्र	
श्री अनिल कुमार	

15. शिक्षा विभाग –विशेष शिक्षा (व्ही0आई0)

श्री निहार रंजन मिश्र	सहायक आचार्य एवं प्रभारी
श्री विश्वेश दुबे	सहायक आचार्य
सुश्री अमिता मिश्रा	सहायक आचार्य

16. शिक्षा विभाग–विशेष शिक्षा (एच0आई0)

श्री मुकुन्द मोहन पाण्डेय	सहायक आचार्य
श्री ओम प्रकाश	सहायक आचार्य
श्री सूर्य प्रकाश मिश्र	सहायक आचार्य

17. क्रीड़ा विभाग

श्री अमृतांशु मिश्र	क्रीडा अधिकारी

18. राष्ट्रीय सेवा योजना

श्री विश्वेश दुबे
श्री मुकुन्द मोहन पाण्डेय
डॉ0 प्रमिला मिश्रा

18. आई0एम0एफ0 (IMF) सेण्टर

श्री सुधीर कुमार	तकनीकि अधिकारी

कर्मचारियों की सूची

नाम	पद
1. श्री हरीन्द्र मोहन मिश्र	वरि0 कार्यालय अधीक्षक
2. श्री राजेश कुमार मिश्र	वरि0 अधीक्षक, पुस्तकालय
3. डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय	वरि0 अधीक्षक, सुरक्षा
4. श्री अशोक कुमार तिवारी	वरि0 अधीक्षक, लेखा
5. श्री सुधीर कुमार	तकनीकी अधिकारी

6. श्री अत्रिमुनी त्रिपाठी	तकनीकी सहायक, समाजकार्य
7. श्री जानकी शरण तोमर	अधीक्षक
8. श्री योगेन्द्र त्रिपाठी,	अधीक्षक
9. श्री कृष्णकान्त द्विवेदी	वरिष्ठ कार्यालय सहायक
10. श्री हरिश्चन्द्र शॉडिल्य,	वरिष्ठ कार्यालय सहायक
11. श्री गौरव श्रीवास्तव	वरिष्ठ कार्यालय सहायक
12. श्रीमती पूजा भार्गव	वरिष्ठ कार्यालय सहायक
13. श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्र	वरिष्ठ कार्यालय सहायक
14. श्री रूद्र पाण्डेय	सहायक
15. श्री राकेश कुमार जयसवाल	सहायक
16. श्री दीपक त्रिपाठी	सहायक
17. श्री कमलेश कुशवाहा	चालक
18. श्री राजेश कुमार यादव	चालक
19. श्री मातादीन पटेल	वरि0 परिचारक
20. श्री कमलाकान्त मिश्र	बुक लिफ्टर
21. श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव	बुक लिफ्टर
22. श्री सच्चिदानन्द त्रिपाठी	सुरक्षा गार्ड
23. श्री बलबीर प्रसाद	सुरक्षा गार्ड
24. श्री सन्तोष रैकवार	परिचारक
25. श्री बैजनाथ कुशवाहा	परिचारक
26. श्री अरविन्द कुमार रिछारिया	परिचारक
27. श्री बुद्धि विलास	परिचारक
28. श्री पद्म चन्द्र अग्रवाल	परिचारक
29. श्री रमाकान्त शाह	परिचारक
30. श्री राजेश कुमार पाण्डेय	परिचारक
31. श्री उदयभान यादव	माली
32. श्री कौशल किशोर पाण्डेय	माली

विश्वविद्यालय परिसर के प्रमुख आकर्षण

- भवन– प्रशासनिक, शैक्षणिक, ग्रान्ड शैक्षणिक
- बालक एवं बालिका छात्रावास
- छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय
- मुख्य कुलानुशासक कार्यालय
- केन्द्रीय पुस्तकालय
- पुनर्वास केन्द्र
- बेकरी
- सिलाई–बुनाई केन्द्र
- चिकित्सालय
- IMF Centre
- तुष्टि
- क्रीडांगन (स्टेडियम)
- प्रकाशन एवं प्रेस
- महिला केन्द्र
- वीणा वादिनी रिकार्डिंग स्टूडियो
- डेकेयर सेन्टर
- परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रकोष्ठ
- आन्तरिक गुणवत्ता मापन प्रकोष्ठ (आई.क्यू.ए.सी.)
- यू0जी0सी0 कोचिंग सेन्टर
- राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई (N.S.S.)